संचालनालय मत्स्योद्योग
मध्य प्रदेश

क्रमांक / 452 / म / म.क.बोर्ड / 2018–19 भोपाल, दिनांक 11-6-18

प्रति,

संयुक्त संचालक,
जनसम्पर्क विभाग म.प्र.,
जनसम्पर्क भवन, बाणगंगा
भोपाल।

विषय :– वाहन किराए पर लेने हेतु सूचना प्रकाशित करने विषयक ।

–0–

विषयान्तर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश शासन मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के अन्तर्गत गठित मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड भोपाल के पदाधिकारियों / अधिकारियों के लिए किराए पर वाहन प्राप्त करने हेतु सूचना का प्रकाशन किया जाना है। कृपया संलग्न सूचना को भोपाल के कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– सूचना 05 प्रतियों में

संचालक मत्स्योद्योग 11/6/18
मध्य प्रदेश

संचालनालय मत्स्योद्योग
मध्य प्रदेश

क्रमांक / /म/म.क.बोर्ड/ 2018–19 भोपाल, दिनांक

वाहन किराए पर लेने की सूचना

मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड भोपाल के पदाधिकारियों/ अधिकारी हेतु कार्यालय आने जाने तथा प्रदेश में भ्रमण हेतु किराए के वाहन करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में स्थित फर्म / संस्थाओं से किराए पर निम्नानुसार नवीनतम वाहन आगामी एक वर्ष हेतु उपलब्ध कराने के लिए पीओएल एवं वाहन चालक सहित निर्धारित शर्तों पर दो लिफाफा पद्धति में दिनांक 28–06–2018 को कार्यालयीन समय 2.00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क्र.	पदनाम	वाहन की एक्स शोरूम कीमत (अधिकतम)	वाहन की संख्या
1	अध्यक्ष	रू. 10.00 लाख	01
2	उपाध्यक्ष	रू. 7.50 लाख	02
3	सचिव	रू. 6.50 लाख	01

प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदाकारों के समक्ष दिनांक 28–06–2018 को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जाएगी। निविदा की शर्त एवं अन्य सम्पूर्ण विवरण कार्यालयीन समय में आकर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र रूपये 500/– (रूपये पांच सौ) का भुगतान कर इस कार्यालय से दिनांक 26–06–2018 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकते हैं।

विज्ञाप्ति की विस्तृत अर्हता शर्तें एवं अन्य जानकारियां कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है, एवं विभाग की वेबसाईट www.mpfisheries.gov.in पर भी उपलब्ध है।

11.6.18

संचालक मत्स्योद्योग
मध्य प्रदेश

वाहन किराये पर लेने हेतु शर्तें

1– सफल निविदाकार द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पिछले माह का देयक प्रस्तुत किया जाएगा। यदि फर्म द्वारा संतोषजनक सर्विस नही दी जाती है तो देयक से अनुपातिक राशि काटकर भुगतान किया जाएगा।

2– निविदा में दी गई दरें पूर्ण अनुबंधित अवधि के लिए मान्य होगी एवं इस दौरान ईधन अथवा किसी अन्य टैक्स में बढ़ोत्तरी होने पर ऐजेन्सी की दरों में बढ़ोत्तरी मान्य नही की जावेगी।

3– वाहन का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन टैक्सी कोटे में होना अनिवार्य है तथा मध्यप्रदेश में कही भी आने–जाने का परमिट हो।

4– वाहन चालक की व्यवस्था ट्रेवल्स ऐंजेंसी द्वारा की जायेगी तथा चालक का वेतन भत्ता व अन्य खर्चे ऐंजेंसी द्वारा प्रदान किये जावेगे।

5– वाहन चालक प्रतिदिन कार्य के लिये उपलब्ध होगा, विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त कार्यअवधि होने पर भुगतान मान्य नही होगा। वाहन चालक के अवकाश/अनुपस्थिति की दशा में ऐंजेंसी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

6– मासिक किराये के वाहनों से मछुआ कल्याण बोर्ड की आवश्यकताओं के हिसाब से कार्य किया जावेगा। आवश्यकता पड़ने पर कार्य 24 घंटे भी हो सकता है।

7– फर्म के वाहन चालक के पास वैध कामर्शियल लायसेंस होना अनिवार्य है।

8– वाहन का एवं वाहन चालक का बीमा होना अनिवार्य है।

9– वाहन चालक की आयु 60 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए तथा वह मेडिकली फिट होना चाहिए।

10– वाहन उपयुक्त न होने पर बोर्ड के चाहे जाने पर वाहन बदला जायेगा।

11– वाहन चालक उपयुक्त न होने पर अथवा उसका व्यवहार ठीक न होने पर फर्म द्वारा उसे बदला जायेगा।

12– वाहनों के मूल कागजात रजिस्ट्रेशन, बीमा, टैक्सी कोटे में पंजीयन एवं फिटनेस आदि फर्म द्वारा म.प्र. मछुआ कल्याण बोर्ड को प्रस्तुत कर अवलोकित कराये जायेंगे।

13– मासिक किराये में 1000 किलोमीटर प्रतिमाह की मुख्यालय पर यात्रा शामिल है।

14– फर्म द्वारा अनुबंध का किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने से मछुआ कल्याण बोर्ड को हुई हानि की वसूली फर्म से वसूल की जायेगी। यह वसूली इकाई द्वारा प्रस्तुत देयको, धरोहर राशि अथवा फर्म इकाई को देय अन्य किसी राशि में से की जायेगी।

15– वाहन (टैक्सी) खराब होने की दशा में फर्म को वैसा ही वाहन (टैक्सी) तत्काल उपलब्ध कराना होगा। व्यवस्था न कर पाने की स्थिति में प्रति दिवस राशि रू. 500 (रू. पांच सौ मात्र) से कटौत्री की जायेगी। इकाई द्वारा वाहन (टैक्सी) उपलब्ध न कराने की दशा में बाजार से दूसरा वाहन (टैक्सी) किराये पर मछुआ कल्याण बोर्ड द्वारा लिया जाकर वास्तविक भुगतान की गई राशि इकाई से वसूल की जावेगी। ड्रायवर की अनुपस्थिति अथवा अवकाश पर रहने की स्थिति

में उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना होगी अन्यथा राशि रू. 500 (रू. पांच सौ मात्र) प्रतिदिन कटौत्री की जायेगी।

16– फर्म जिसे मछुआ कल्याण बोर्ड द्वारा कार्य दिया गया है। किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को उप भाडे पर (sublet) नही दे सकती।

17– कार्यादेश के आधार पर मछुआ कल्याण बोर्ड द्वारा कोई भी अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा। किसी कमर्शियल बैंक/संस्था से लोन हेतु इकाई की मछुआ कल्याण बोर्ड द्वारा अनुशंसा नहीं की जायेगी।

18– फर्म से म0 प्र0 मछुआ कल्याण बोर्ड द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध निष्पादित करेगा एवं इस अवधि में आवश्यकतानुसार वाहन को किराये पर लेगा। प्रथम अनुबंध की अवधि को आवश्यकतानुसार फर्म एवं मछुआ कल्याण बोर्ड भोपाल की आपसी सहमति से अधिकतम 01 वर्ष की अतिरिक्त अवधि बढ़ाई जा सकेगी। निधारित अवधि के पूर्व अनुबंध को किसी भी समय संचालक, संचालनालय मत्स्योद्योग म0 प्र0 भोपाल द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

19– उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों का पंजीयन वर्ष–2017 या उसके बाद का होना चाहिए।

20– किराये पर लिये गए वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार की दुर्घटना, तोड़फोड़ होने पर वाहन प्रदायकर्ता फर्म उसके लिए उत्तरदायी होगी एवं समस्त खर्चे का वाहन प्रदायकर्ता फर्म को करना होगा। यदि किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जो है तो आदेश के पालन की संपूर्ण जवाबदारी भी वाहन प्रदायकर्ता इकाई की होगी।

21– वाहन चालक की उपस्थिति एवं वाहन के समुचित रखरखाव (मरम्मत) की जिम्मेदारी ट्रेवल एजेंसी की होगी।

22– वाहन चालक को वाहन की लॉग बुक अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोगकर्ता पदाधिकारी/अधिकारी से वाहन की मीटर रीडिंग का, प्रतिदिन की गई यात्रा के अनुसार, प्रमाणीकरण लॉग बुक से कराना होगा। देयक प्रस्तुत करते समय वाहन उपयोगकर्तासे सत्यापित लॉग बुक की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा।

23– वाहन की लॉग बुक के, प्रमाणीकरण के आधार पर ही वाहन के देयक का भुगतान किया जावेगा।

24– दो प्रकार के लिफाफे अंतर्गत एक लिफाफा टेक्निकल बिड हेतु जिसमें ट्रेवल एजेंसी का अनुभव, टिन नंबर, इनकम टैक्स, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र इत्यादि रहेगा। दूसरा लिफाफा फाइनेंशियल बिड् हेतु जिसमें वाहनों के प्रकार तथा दरें अंकित की जायेगी।

25– किराये पर लिये गये वाहन की समयावधि में वृद्दि एवं कटौत्री तथा सेवा निरस्त करने का समस्त अधिकार संचालक, संचालनालय मत्स्योद्योग म0 प्र0 भोपाल में निहित होगें।

26– मछुआ कल्याण बोर्ड, भोपाल को निर्धारित समय व स्थान पर वाहन प्रदाय करना होगा। प्रदाय न किये जाने पर बोर्ड द्वारा नोटिस दिया जावेगा। उसके बाद पुररावृत्ति होने पर फर्म द्वारा जमा धरोहर राशि बोर्ड द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा अनुबंध समय–सीमा के पूर्व तत्काल निरस्त किया जा सकेगा।

27– माइलोमीटर में गड़बड़ी या हेराफेरी या वाहन चालक द्वारा सड़क मार्ग हेतु निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाने की दशा में सड़क मार्ग की निर्धारित दूरी अनुसार दूरी मान्य की जावेगी।

28– मासिक किराये पर लिये जाने वाला वाहन कार्यालय/उपयोगकर्ता जिन्हें आवंटित किया गया है के आवास में खड़ा करना अनिवार्य होगा।

29– **आर्बीट्रेशनः**– अनुबंध के कियान्वयन में विवाद की स्थिति में संचालक, सचालनालय मत्स्योद्योग म0प्र0 भोपाल आर्बीट्रटर होगें तथा उनका निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

30– **न्यायिक क्षेत्रः**– भोपाल जिला न्यायालय न्यायियक क्षेत्र होगा।

31 – देयक का भुगतान ई भुगतान के माध्यम से किया जावेगा।

32– निविदा को मान्य अथवा अमान्य करने का पूर्ण अधिकार संचालक मत्स्योद्योग को होगा।

सचिव
मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड
भोपाल